

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चौमा)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

क्रमांक 1/65 /16

प्रारम्भिक निर्णय दिनांक : 11.07.2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र श्री देवाराम जाति ओड राजपूत,
2. शंकर पुत्र श्री देवाराम जाति ओड राजपूत निवासियान चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
.....वादी

बनाम

1. सन्तलाल
2. दर्शन लाल
3. सोहन लाल, पुत्रांन देवाराम जाति ओड राजपूत, निवासी ग्राम चौमा तह0 रामगढ़(अलवर)।
4. शकुन्तला पत्नी हरिशचन्द
5. उषा देवी पत्नी अमरचन्द जातियान प्रजापत निवासियान ग्राम चौमा तह0 रामगढ़(अलवर)।
.....असल प्रतिवादीगण
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, रामगढ़ जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा बाबत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा आरटीएक्ट 53, 188 पेश कर कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 0.31, 306 रकबा 0.30, 307 रकबा 0.45, 308 रकबा 0.27 कुल किता 4 रकबा 1.33 हैक्ट0 जो खाता सं0 107 पर दर्ज है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.23, 619 रकबा 0.20, 621 रकबा 0.29 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट0 जो खाता सं0 108 पर दर्ज है व इसी प्रकार खाता सं0 109 की आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.18 हैक्ट0 व इसी प्रकार खाता सं0 110 की आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.34, 1062 रकबा 0.03, 1063 रकबा 0.15, 1094 रकबा 0.28 व 1096 रकबा 0.10 कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 हैक्ट0 वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है, में से वादीगण का खाता सं0 107, 108 की आराजी में से 10/21 हिस्सा व खाता सं0 109, 110 की आराजी में से 2/7 हिस्सा जयें तकसीम अलग कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आई आराजी रकबा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का दखल वादीगण को दिलाया जावे व इस ही प्रकार लगान बांधा जावे व अलग खाता कायम किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा में दिनांक 11.07.. 2016 को पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बाद समझाईश, उभयपक्षकारान ने इस आशय का

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

राजीनामा पेश किया कि विवादित आराजी का रिकार्ड के अनुसार नियमानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे। बाद विभाजन हम एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेंगे। अपनी-अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा में अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादीगण इस आशय के साथ आंशिक स्वीकार किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 0.31, 306 रकबा 0.30, 307 रकबा 0.45, 308 रकबा 0.27 कुल किता 4 रकबा 1.33 हैक्ट0 जो खाता सं0 107 पर दर्ज है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.23, 619 रकबा 0.20, 621 रकबा 0.29 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट0 जो खाता सं0 108 पर दर्ज है व इसी प्रकार खाता सं0 109 की आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.18 हैक्ट0 व इसी प्रकार खाता सं0 110 की आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.34, 1062 रकबा 0.03, 1063 रकबा 0.15, 1094 रकबा 0.28 व 1096 रकबा 0.10 कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 हैक्ट0 वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर वादीगण व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी नियमानुसार तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 12.08.2016 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत नहीं करेंगे, इस कदर पाबन्द किया जावे। इसी प्रकार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चौमा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चौमा)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं० 1/65 /16

प्रारम्भिक निर्णय दिनांक : 11.07.2016

उनवान

1. गणेशराम पुत्र श्री देवाराम जाति ओड राजपूत,
2. शंकर पुत्र श्री देवाराम जाति ओड राजपूत निवासियान चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. सन्तलाल
2. दर्शन लाल
3. सोहन लाल, पुत्रांन देवाराम जाति ओड राजपूत, निवासी ग्राम चौमा तह० रामगढ़(अलवर)।
4. शकुन्तला पत्नी हरिशचन्द
5. उषा देवी पत्नी अमरचन्द जातियान प्रजापत निवासियान ग्राम चौमा तह० रामगढ़(अलवर)।
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, रामगढ़ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा बाबत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादीगण इस आशय के साथ आंशिक स्वीकार किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 0.31, 306 रकबा 0.30, 307 रकबा 0.45, 308 रकबा 0.27 कुल किता 4 रकबा 1.33 हैक्ट० जो खाता सं० 107 पर दर्ज है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.23, 619 रकबा 0.20, 621 रकबा 0.29 हैक्ट० कुल किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट० जो खाता सं० 108 पर दर्ज है व इसी प्रकार खाता सं० 109 की आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.18 हैक्ट० व इसी प्रकार खाता सं० 110 की आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.34, 1062 रकबा 0.03, 1063 रकबा 0.15, 1094 रकबा 0.28 व 1096 रकबा 0.10 कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 हैक्ट० वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर वादीगण व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी नियमानुसार तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ़ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 12.08.2016 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.07.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)
रामगढ़ अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)